भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY INDORE

छात्रावास समन्वय इकाई

Hostel Coordination Unit

विषय-सूची

Table of Contents

तालिका Content Number	पृष्ठ संख्या Page
रैगिंग विरोधी और उत्पीड़न विरोधी दिशानिर्देश Guidelines Anti-ragging and Anti-Harassment	1
छात्रावास के नियम एवं विनियम HOSTEL RULES AND REGULATIONS	4
भोजन के नियम और विनियम DINING RULES AND REGULATIONS	8
छूट नियम REBATE RULES	11
स्वास्थ्य केन्द्र दिशानिर्देश Health Centre Guidelines	13
इंटरनेट पहुंच और ई-मेल के लिए नीति प्रयोग POLICY FOR INTERNET ACCESS AND E-MAIL USAGE	16
सामान्य क्या न करें General Don’ts	17
गोपनीयता और सुरक्षा नीतियाँ Privacy and Security Policies	18
सुरक्षा और संरक्षा नियम SAFETY AND SECURITY POLICY	19
शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में यौन उत्पीड़न से संबंधित नियम Rules pertaining to Sexual Harassment at Higher Educational Institutions (HEIs)	20

रैगिंग विरोधी और उत्पीड़न विरोधी दिशानिर्देश
Guidelines Anti-ragging and Anti-Harassment

1. यह अधिसूचित किया जाता है कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। यदि आप पीड़ित बन जाते हैं या ऐसी कोई घटना देखते हैं, तो मामले की सूचना अपने छात्रावास वार्डन, केयरटेकर/रखवाला या मुख्य सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सहायता डेस्क को दें। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.
   It is notified that Ragging is a Criminal Offence. In case you become a victim or notice any such incident, report the matter to your Hostel Warden, Caretaker or Chief Security Officer/Security Help Desk. Your identity will be kept strictly confidential.

2. .यदि संस्थान के अधिकारियों के ध्यान में यह बात आती है कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग गतिविधि में शामिल है, तो वह संस्थान के मानदंडों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, किसी भी अन्य आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी दंडात्मक कानून या उस समय लागू किसी कानून के तहत की जा सकती है।
   If it comes to the notice of the Institute authorities that anybody is involved in ragging activity either directly or indirectly, he/she will be liable to disciplinary action as per the Institute norms, without prejudice to any other criminal action that may be taken against such individual under any penal law or any law for the time being in force.

3. **रैगिंग के विभिन्न प्रकार:Various Types of Ragging:**
   a) रैगिंग के कई पहलू हैं, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहित बहुआयामी प्रभाव।
      Ragging has several aspects, multidimensional ramifications including psychological, physical, social, political, economic, cultural, and academic.

   b) कोई भी कार्य जो किसी छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता है, बाधित करता है या परेशान करता है उसे रैगिंग माना जाएगा। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति या वरिष्ठों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी जूनियर छात्र का शोषण करना रैगिंग माना जाएगा।
      Any act that prevents, disrupts, or disturbs the regular academic activity of a student will be considered as ragging. Similarly, exploiting the services of a junior student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of seniors will be considered as ragging.

   c) वरिष्ठ छात्र/छात्रों द्वारा किसी कनिष्ठ छात्र से किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना अथवा उस पर बलपूर्वक या दबावपूर्वक किसी वित्तीय व्यय का दायित्व डालना, रैगिंग के आर्थिक स्वरूप (Economic Ragging) के अंतर्गत माना जाएगा।
      Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a junior student by senior student/s will be considered as ragging of economic dimensions.

   d) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य जिसमें इसके सभी प्रकार शामिल हैं; यौन शोषण, समलैंगिक हमले, निर्वस्त्र करना, अश्लील और भद्दे कृत्य, इशारे, जिससे शारीरिक क्षति हो या जिससे स्वास्थ्य या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा हो, उसे आपराधिक आयाम वाली रैगिंग की श्रेणी में रखा जाएगा।
      Any act of physical abuse including all variants of it; sexual abuse, homosexual assaults, stripping, obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or the person, will be put in the category of ragging with criminal dimensions.

e) दुर्व्यवहार का कोई भी कार्य, चाहे मौखिक रूप से या ईमेल, स्नेल-मेल, या ब्लॉग द्वारा, रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अंतर्गत माना जाएगा। इस पहलू में सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से दूसरों की असुविधा में भाग लेने से विकृत आनंद, विचित्र या परपीड़क रोमांच प्राप्त करना भी शामिल होगा।
Any act of abuse, either verbally or by emails, snail-mails, or blogs, will be considered within the psychological aspects of ragging. This aspect will also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to others.

f) उच्च शिक्षा में प्रवेश और छात्रावास में जीवन के लिए 'नए छात्रों को तैयार करने' की कार्रवाई को भी रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू के रूप में माना जाएगा। कोई भी कार्य जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, उसे रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के संदर्भ में वर्णित किया जाएगा। इस संबंध में, माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों/बच्चों को संस्थान में अजनबियों या वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करते समय संचार कौशल सीखने के लिए शिक्षित करें।
The action of 'preparing freshers' in the run up to their admission to higher education & life in hostel will also be ascribed as a psychological aspect of ragging. Any act that affects the mental health and self-confidence of students will be described in terms of the psychological aspects of ragging. In this regard, parents are advised to educate the students/children to learn communication skills while interacting with strangers or seniors in the Institute.

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में रैगिंग में शामिल होने और बढ़ावा देने वाले छात्रों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई इस प्रकार है:
Actions to be taken against students for indulging and abetting in Ragging at IIT Indore are as follows:

a) जैसा ऊपर उल्लिखित है रैगिंग के किसी भी कृत्य में शामिल व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा अनुकरणीय और गंभीर होगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके। किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त पाए जाने वाले छात्रों को भारत में किसी भी तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने से रोका जा सकता है।
Punishment to be meted out to persons who indulge in any act of ragging as mentioned above will be exemplary and severe so that the same act as a deterrent against recurrence of such incidents. Students found indulging in ragging, in any form, may be debarred from taking admission in any technical institution in India.

b) संस्थान की एंटी-रैगिंग और एंटी-उत्पीड़न समिति द्वारा स्थापित अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, संस्थान में रैगिंग के दोषी पाए जाने वालों के लिए संभावित सजा निम्नलिखित में से कोई एक या कोई संयोजन होगी:
Depending upon the nature and gravity of the offence as established by the Anti-Ragging and Anti-Harassment Committee of the Institute, the possible punishments for those found guilty of ragging at the Institute shall be any one or any combination of the following:

i. प्रवेश रद्द करना।
Cancellation of admission.

ii. कक्षाओं में भाग लेने से निलंबन।
Suspension from attending classes.

iii. छात्रवृत्ति/फ़ेलोशिप और अन्य लाभों को रोकना/वापस लेना।
Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits.

iv. किसी भी परीक्षण/परीक्षा, प्लेसमेंट गतिविधियों या अन्य मूल्यांकन प्रक्रियाओं में शामिल होने से रोकना।
Debarring from appearing in any test/examination, placement activities or other evaluation processes.

v. परिणाम रोकना।
Withholding results.

vi. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैठक, टूर्नामेंट/खेलकूद-प्रतियोगिता, युवा उत्सव आदि में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
Debarring from representing the Institution in any regional, national, or international meet, tournament, youth festival, etc.

vii. छात्रावास से निलंबन/निष्कासन।
Suspension/expulsion from the Hostel.

viii. 1 से 4 सेमेस्टर तक की अवधि के लिए संस्थान से निष्कासन।
Rustication from the Institute for period ranging from 1 to 4 semesters.

ix. संस्थान से निष्कासन और परिणामस्वरूप किसी अन्य संस्थान में प्रवेश पर रोक।
Expulsion from the Institute and consequent debarring from admission to any other institution.

x. ₹25,000/- का जुर्माना.
Fine of ₹25,000/-.

xi. सामूहिक दंड - जब रैगिंग के अपराध को अंजाम देने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं की जाती है, तो संस्थान संभावित अपराधियों पर सामुदायिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए निवारक के रूप में सामूहिक दंड का सहारा लेगा।
Collective punishment - when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the Institute will resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential offenders.

5. अनुशासनात्मक समिति या एंटी-रैगिंग समिति के पास रैगिंग के दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा वह उचित समझे और निर्धारित कानून के तहत, यदि कोई हो।
The Disciplinary Committee or the Anti-ragging Committee reserves the right to take any kind of action against the individual found guilty of ragging, as deemed fit by it and under the prescribed law, if any.

****

छात्रावास के नियम एवं विनियम
HOSTEL RULES AND REGULATIONS

1. छात्रों को छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
   Students are to follow the Hostel Rules and Regulations.

2. यह अधिसूचित किया गया है कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। यदि आप पीड़ित हो जाते हैं या ऐसी कोई घटना देखते हैं, तो मामले की सूचना अपने छात्रावास वार्डन, केयरटेकर/ रखवाला, सुरक्षा या एंटी-रैगिंग और उत्पीड़न-विरोधी समिति को दें। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी. कृपया रैगिंग विरोधी नियमों को पढ़ें।
   It is notified that ragging is a criminal offence. In case you become a victim or notice any such incident, report the matter to your Hostel Warden, Caretaker, Security or Anti-Ragging and Anti-harassment Committee. Your identity will be kept strictly confidential. Please go through the Anti- Ragging Rules.

3. यदि प्रबंधन के ध्यान में यह बात आती है कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग गतिविधि में शामिल है, तो वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की एंटी-रैगिंग और एंटी-उत्पीड़न समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
   If it comes to the notice of the management that anybody is involved in Ragging activity either directly or indirectly, he/she will be liable to strict disciplinary action as mentioned under the guidelines of Anti-Ragging and Anti-Harassment Committee of IIT Indore.

4. छात्रावास के निवासियों सहित किसी भी छात्र के लिए किसी भी नशीली दवा और/या मनोदैहिक पदार्थ और/या मादक पेय का उत्पादन/निर्माण/खेती करना, रखना, बेचना, खरीदना, परिवहन करना, भंडारण करना और/या सेवन करना गैरकानूनी है। संदेह के मामले में, संस्थान बिना किसी पूर्व सूचना/घोषणा के निवासी के कमरे का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि इकाई के सामान्य क्षेत्र में पाया जाता है, तो सभी निवासी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
   It is illegal for any student including hostel residents to produce/manufacture/cultivate, possess, sell, purchase, transport, store, and/or consume any narcotic drug and/or psychotropic substance and/or alcoholic drinks. In case of suspicion, the Institute reserves the right to inspect the resident's room without any prior information/intimation. Any violation will be viewed very seriously, and strict disciplinary action will be taken. If found in the common area of the unit, all residents will be liable for the disciplinary action.

5. छात्रों/छात्रावास निवासियों को छात्रावास, संस्थान परिसर तथा शहर में कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन अथवा स्कूटर रखने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ऐसे किसी भी अनधिकृत वाहन के उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना/अप्रिय घटना के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। यदि किसी छात्र/छात्रावास निवासी के पास कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन अथवा स्कूटर पाया जाता है या छात्रावास के निकट पार्क किया हुआ मिलता है, तो उक्त वाहन को सुरक्षा दल द्वारा जब्त (सीज़) कर लिया जाएगा तथा संबंधित छात्र के विरुद्ध उपयुक्त आर्थिक दंड एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
   Students/Hostel Residents are not permitted to keep/use Car, Motorcycle, Electric Vehicle or Scooter at the hostel or Institute premises, as well as in the city. In case of any type of accidents/mishaps resulting from such unauthorized use of vehicle, the Institute will not be held responsible. In case the car, motorcycle, electric vehicle or scooter is found in possession or parked near hostel will be ceased by the security team and appropriate penalty alongwith the disciplinary action will be taken.

6. छात्रों को रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सभी छात्रों को परिसर में रात 11 बजे तक अपने कमरे में लौट आना चाहिए।

Students are not allowed to go out of campus between 2300 hrs. to 0600 hrs. All students should return to their rooms latest by 2300 hrs. at the campus.

7. छात्रों को किसी भी कारण से निर्माणाधीन भवन स्थलों में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
   Students are not allowed to enter the under-construction building sites for any reason.

8. छात्रों को वन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
   Students are not allowed to enter the forest area.

9. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परिसर के अंधेरे इलाकों में टहलने न जाएं।
   Students are advised not to go for a walk in the dark areas of the campus.

10. आईआईटी इंदौर के किसी भी भवन की छत (टेरेस) पर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्र बिना अनुमति के किसी भी भवन की छत (टेरेस) पर प्रवेश करता हुआ पाया जाता है, तो इसे संस्थान के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित छात्र के विरुद्ध आर्थिक दंड (Penalty) सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) की जाएगी।
    Access to any building terrace at IIT Indore is strictly prohibited. Any unauthorized entry to the terrace by a student will be treated as a serious violation of Institute rules and shall attract disciplinary action, including the imposition of a monetary penalty.

11. छात्र अपने सामान के लिए जिम्मेदार हैं। सभी मूल्यवान वस्तुएँ जैसे नकदी, कैमरा, सोने की वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ जैसे लैपटॉप, आईपॉड आदि को अलमारी में बंद करके रखना चाहिए।
    Students are responsible for their belongings. All valuable items such as cash, camera, gold items and electronic items such as laptop, iPod etc. are to be kept locked in the cupboard.

12. बाहर जाते समय हमेशा अपने कमरे बंद रखें।
    Always Lock your rooms on your way out

13. छात्रों को अपने कमरों को सदैव स्वच्छ रखना तथा उचित स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है। दीवारों, दरवाजों, फर्नीचर अथवा संस्थान की किसी भी अन्य संपत्ति पर लिखना, चित्र बनाना, रंग करना, खरोंचना अथवा किसी भी प्रकार से उसे क्षतिग्रस्त या विकृत करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्र संस्थान की संपत्ति को क्षति पहुँचाते अथवा उसे विकृत करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध संस्थान के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा मरम्मत/प्रतिस्थापन की लागत की वसूली, निर्धारित आर्थिक दंड के अतिरिक्त, संबंधित छात्र से की जाएगी।
    Students shall keep their rooms clean and maintain proper hygiene at all times. Scribbling, writing, drawing, painting, or defacing walls, doors, furniture, or any other Institute property is strictly prohibited. Any student found damaging or defacing Institute property shall be liable for disciplinary action and recovery of the cost of repair/replacement, in addition to any penalty imposed as per Institute rules.

14. कई मौकों पर छात्र बदमाशों को पकड़कर सुरक्षा में मददगार रहे हैं। हम आपसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि आप इस संबंध में एक प्रभावी सदस्य बनें और सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करें। सुरक्षा हर किसी की चिंता है, कृपया सहयोग करें।
    On many occasions, students have been helpful for security by nabbing miscreants. We also expect you to be an effective member in this regard and be vigilant and assist us as and when required. Security is everybody’s concern, please cooperate.

15. छात्रावास/छात्रावास परिसर/भोजनालय परिसर में किसी भी प्रकार के पालतू पशु अथवा अन्य जानवर को रखने, पालने या भोजन खिलाने वाले छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे छात्र/छात्रा को संबंधित पशु/जानवर को तत्काल हटाना होगा तथा संस्थान के नियमों के अनुसार निर्धारित दंड/जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
    Any student found keeping/feeding a pet or animal in the hostel/hostel area/ dining area shall be liable for disciplinary action and may be required to remove the animal immediately, in addition to any penalty imposed as per Institute rules.

16. यदि आप इंदौर शहर से अपरिचित हैं, तो बाहर जाने से पहले अपने छात्रावास के निवासियों से नियमों/विनियमों और इसमें शामिल किसी भी जोखिम के बारे में खुद को परिचित कर लें।
    In case you are unfamiliar with Indore city, do acquaint yourself from your hall of residence inmates about the rules/regulations and any risks involved before moving out.

17. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर परिसर में या बाहर जाते समय हमेशा अपना पहचान पत्र साथ रखें, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
    Always carry your Identity Card while moving in or out of IIT Indore Campus which may be asked to produce at any time by relevant authority.

18. किसी आपातकालीन स्थिति में जहां बाहरी एजेंसियों जैसे पुलिस, फायर-ब्रिगेड आदि को बुलाने की आवश्यकता हो, छात्र को तुरंत सुरक्षागार्ड, परिचारक या छात्रावास कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, जो संस्थान की ओर से आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करेगा।
    In case of an emergency where external agencies such as police, fire-brigade etc. need to be called, student should immediately contact the Security, Attendant or Hostel Office, who will contact the emergency services on behalf of the Institute.

19. हॉस्टल के कमरों के अंदर इलेक्ट्रिक केतली, इंडक्शन कुकर, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर और टीवी जैसे उच्च वोल्टेज वाले बिजली के उपकरण सख्त वर्जित हैं।
    High-voltage electric appliances such as electric kettles, induction cookers, refrigerators, air coolers, and TVs are strictly prohibited inside hostel rooms.

20. अन्य छात्रावासों में प्रवेश भूतल के सामान्य क्षेत्र तक ही सीमित है।
    Entry to hostels other than allotted is restricted to the ground floor common area.

21. किसी भी महिला छात्र को पुरुष छात्रावासों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, और इसके विपरीत भी।
    No female student is allowed to enter male hostels, and vice versa.

22. छात्रावास में शांतिपूर्ण एवं अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग करना, तेज आवाज़ में संगीत बजाना, टेलीविजन को ऊँची आवाज़ में चलाना अथवा किसी भी प्रकार का ऐसा शोर करना जिससे अन्य छात्रावास निवासियों को असुविधा या व्यवधान उत्पन्न हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले किसी भी छात्र पर आर्थिक दंड (Monetary Penalty) लगाया जाएगा।
    To maintain a peaceful environment in the hostel, the usage of the badminton court, playing loud music, watching TV at high volumes, or making any other loud noises that may disturb other residents is strictly prohibited between 11 PM and 6 AM. Any student found violating this rule shall be liable to a **monetary penalty**

23. संस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन छात्रों या उनके परिजनों के व्यक्तिगत बैंक खातों में किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी धनराशि—चाहे वह कार्यक्रमों, गतिविधियों या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हो—केवल आधिकारिक जिमखाना या संस्थान के बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त और प्रबंधित की जाएंगी।
    No monetary transactions related to the Institute shall be accepted into the personal bank accounts of students or their relatives under any circumstances. All funds—whether for events, activities, or administrative purposes etc.—must be received and managed solely through the official Gymkhana or Institute bank accounts.

24. इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति या समूह संस्थान के नाम पर किसी प्रकार का उपहार, सुविधा या लाभ न तो माँगेगा और न ही स्वीकार करेगा। यह नीति संस्थान समुदाय के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए बनाई गई है।
    Additionally, no gift, favor, or benefit of any kind shall be solicited or accepted in the name of the Institute by any individual or group. This policy is designed to maintain the highest standards of transparency, accountability, and ethical conduct within the Institute community.

25. संस्थान आपके कार्यक्रम विवरण/दस्तावेजों को संस्थान की वेबसाइट पर साझा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
    The Institute reserves the right to share your program details/documents on the Institute website.

26. आवश्यकता पड़ने पर संस्थान आपके संपर्क विवरण साझा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
    The Institute reserves the right to share your contact details as and when required.

27. छात्रों द्वारा छात्रावास पर्यवेक्षक, केयरटेकर, परिचारक, हाउसकीपिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मी तथा अन्य छात्रावास कर्मचारियों के साथ सदैव सम्मानजनक एवं शिष्ट व्यवहार किया जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग अथवा उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करना छात्रावास नियमों का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित छात्र के विरुद्ध आर्थिक दंड एवं/अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
    Students shall treat Hostel Supervisors, Caretakers, Attendants, Housekeeping Staff, Security Personnel, and other hostel staff with dignity and respect at all times. Any misbehaviour, use of abusive language, or obstruction in the discharge of their duties shall be treated as a violation of Hostel rules and may result in monetary penalty and/or disciplinary action.

28. उपर्युक्त नियमों का पालन न करने पर संस्थान द्वारा संबंधित छात्र के विरुद्ध आर्थिक दंड (Monetary Penalty) तथा/अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संस्थान द्वारा लगाए गए जुर्माने एवं दंड के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं गैर-परक्राम्य (Non-Negotiable) होगा तथा इस पर किसी भी प्रकार का विवाद या पुनर्विचार स्वीकार्य नहीं होगा।
    Non-compliance with the above rules may result in the imposition of a monetary penalty and/or disciplinary action by the Institute. The decision of the Institute regarding the fines and penalties imposed shall be final and binding, and shall not be subject to any negotiation or dispute.

नोट: छात्रावास नियम समय-समय पर संशोधन और अनुपालन के लिए उत्तरदायी हैं।
Note: Hostel rules are liable for modification time to time and for compliance.

****

भोजन के नियम और विनियम
DINING RULES AND REGULATIONS

1.किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा, सामूहिक मारपीट, धमकी देना, संस्थान की संपत्ति को क्षति पहुँचाना अथवा शराब के प्रभाव में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित छात्रों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Any act of physical violence, group fighting, intimidation, damage to property, or misconduct under the influence of alcohol will be treated as a serious offence. Strict disciplinary action will be taken against the students involved.

2.सभी छात्रों के लिए संस्थान के सभी कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं, डाइनिंग हॉल स्टाफ, डाइनिंग समिति के सदस्यों, हॉस्पिटैलिटी प्रबंधकों, हॉल प्रबंधकों, केयरटेकर तथा अन्य सभी व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या अनुचित आचरण अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार होगा। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आचरण एवं भाषा के माध्यम से संस्थान की गरिमा एवं प्रतिष्ठा बनाए रखें।
Students must behave respectfully with all staff members, service providers, dining hall staff, dining committee members, hospitality managers, hall managers, caretakers, and others. Any misconduct or inappropriate behaviour may lead to disciplinary action. Students are expected to maintain the dignity and reputation of the Institute through their conduct and language.

3.सभी छात्रावास निवासियों के लिए स्वीकृत कैटरर्स में से किसी एक के माध्यम से केंद्रीय भोजनालय में भोजन करना अनिवार्य होगा।
All hostel residents are required to dine in the central dining facility with any one of the approved caterers.

4.छात्रावास के भीतर किसी भी प्रकार का भोजन पकाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
Cooking inside the hostels is strictly prohibited.

5. **भोजन का समय (Dining Timings) निम्नानुसार होगा:**
The dining timings are as follows:
सोमवार से शुक्रवार

- **नाश्ता (Breakfast):** प्रातः 7:40 बजे – 10:00 बजे
- **दोपहर का भोजन (Lunch):** दोपहर 12:30 बजे – 2:30 बजे
- **रात्रि भोजन (Dinner):** रात्रि 8:00 बजे – 10:00 बजे

Monday to Friday
- **Breakfast:** 7:40 AM – 10:00 AM
- **Lunch:** 12:30 PM – 2:30 PM
- **Dinner:** 8:00 PM – 10:00 PM

शनिवार

- **नाश्ता (Breakfast):** प्रातः 8:30 बजे – 10:30 बजे
- **दोपहर का भोजन (Lunch):** दोपहर 12:30 बजे – 2:30 बजे
- **रात्रि भोजन (Dinner):** सायं 7:30 बजे – 9:30 बजे

Saturday
- **Breakfast:** 8:30 AM – 10:30 AM
- **Lunch:** 12:30 PM – 2:30 PM
- **Dinner:** 7:30 PM – 9:30 PM

रविवार एवं संस्थान द्वारा घोषित अवकाश (Institutional Holidays)

- **नाश्ता (Breakfast):** प्रातः 8:30 बजे – 10:30 बजे
- **दोपहर का भोजन (Lunch):** दोपहर 12:30 बजे – 2:30 बजे
- **रात्रि भोजन (Dinner):** रात्रि 8:00 बजे – 10:00 बजे

Sunday and Institutional Holidays

- **Breakfast:** 8:30 AM – 10:30 AM
- **Lunch:** 12:30 PM – 2:30 PM
- **Dinner:** 8:00 PM – 10:00 PM

टिप्पणी (Note): आवश्यकता पड़ने पर भोजन के समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
Note: Meal timings may change if required.

6.भोजन केवल निर्धारित भोजन समय के दौरान ही परोसा जाएगा।
Meals will be served only during the scheduled dining hours.

7.छात्रों को भोजन सुविधा प्राप्त करने हेतु अपना मेस कार्ड छात्रावास कार्यालय से प्राप्त कर उसे संबंधित कैटरर के पास जमा करना अनिवार्य होगा। वैध मेस कार्ड के बिना भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।
Students must collect their mess card from the hostel office and submit it to the caterer for availing meals. Dining without a valid mess card is not permitted.

8.पहचान (Identification) के उद्देश्य से मेस कार्ड पर छात्र का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाना अनिवार्य होगा।
A recent passport-size photograph must be pasted on the mess card for identification purposes.

9. बीमारी की स्थिति में छात्र संस्थान स्वास्थ्य केंद्र की लिखित सलाह प्रस्तुत करने पर *सिक डाइट (Sick Diet)* सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिन छात्रों को किसी विशेष प्रकार के भोजन (Special Meal) की आवश्यकता हो, वे इसकी सूचना पूर्व में ई-मेल के माध्यम से संबंधित कैटरर एवं डाइनिंग कार्यालय को दें।
In case of illness, students may avail sick diet facilities upon submission of written advice from the Institute Health Centre. Students requiring any special meal are advised to inform the caterer and Dining Office in advance through email.

10. नियम 9 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर छात्रों को भोजन अथवा बर्तन डाइनिंग हॉल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
Students are not allowed to take utensils or food outside the dining hall, except in cases mentioned under Rule 9.

11. निरीक्षण के दौरान छात्र डाइनिंग समिति के अधिकृत सदस्यों को छोड़कर किसी भी छात्र का रसोईघर एवं भंडारण कक्ष में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है।
Entry into the kitchen and store area is strictly prohibited for all students except authorized members of the Students' Dining Committee during inspections.

12. भोजन अन्य छात्रों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। प्रत्येक छात्र अपना भोजन स्वयं प्राप्त करेगा।
Meals must not be shared with other students. Each student should collect their meal individually.

13. छात्रों द्वारा अपना मेस कार्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना अथवा किसी अन्य छात्र के मेस कार्ड का उपयोग कर भोजन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। भोजन केवल वैध मेस कार्ड प्रस्तुत करने पर ही प्रदान किया जाएगा।
Students are strictly prohibited from sharing their mess cards with others or using another student's mess card for dining. Food will be served only on presentation of a valid mess card.

14. सुझाव एवं शिकायतें केवल *Hall of Residence Portal* तथा/अथवा *Student Gymkhana* के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर ही विचारार्थ स्वीकार की जाएँगी। सभी पत्राचार आधिकारिक, सम्मानजनक एवं वस्तुनिष्ठ भाषा में होना चाहिए।
Suggestions and complaints will only be considered if submitted through the Hall of Residence Portal and/or the Student Gymkhana body. All communication should be written in official and respectful language and should remain objective.

15. शिकायतों के निवारण हेतु छात्रों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए। शिकायतों के समाधान के लिए सोशल मीडिया, प्रेस अथवा सामूहिक ई-मेल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
Students are advised to approach the appropriate authorities for grievance redressal and should not use social media, press, or mass emails to address complaints.

16. संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ एवं शराब का रखना, उपयोग करना अथवा वितरण करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर छात्रावास अथवा संस्थान से निष्कासन सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
The Institute strictly prohibits the possession, use, or distribution of illegal drugs and alcohol on campus. Violations may result in strict disciplinary action, including expulsion from the Hall of Residence or the Institute.

17. केंद्रीय भोजनालय भवन के भीतर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Smoking is strictly prohibited inside the central dining facility building. Violators will face disciplinary action.

18. उपर्युक्त किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर वार्डनों अथवा छात्रावास प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
Violation of any of the above rules may result in disciplinary action or penalties as decided by the Wardens or Hall of Residence staff.

19. जुर्माने एवं आर्थिक दंड) के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं गैर-परक्राम्य होगा। ऐसे निर्णयों के संबंध में किसी भी प्रकार का तर्क-वितर्क अथवा चर्चा स्वीकार नहीं की जाएगी।
Decisions regarding fines and penalties are final and non-negotiable. No arguments or discussions regarding such decisions will be entertained.

****

छूट नियम
REBATE RULES

1. कैटरर का चयन करने, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक रिबेट (अवकाश) के लिए आवेदन करने तथा शिकायतें दर्ज करने हेतु एक आधिकारिक डाइनिंग वेबसाइट उपलब्ध है। वेबसाइट का लिंक है: **diningfee.iiti.ac.in**
   An official Dining Website is available for caterer choice submission, applying for short-term and long-term rebates (leave), and submitting grievances. The website link is: **diningfee.iiti.ac.in**

2. सभी छात्रों के लिए मेस पंजीकरण अनिवार्य है। जो छात्र डाइनिंग वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, वे रिबेट के पात्र नहीं होंगे। सभी छात्रावास निवासियों को रिबेट की सुचारु प्रक्रिया हेतु अपना पंजीकरण पूर्ण करने की सलाह दी जाती है।
   Mess registration is mandatory for all students. Students who are not registered on the Dining Website will not be eligible for rebate. All hostel residents are advised to complete their registration for smooth processing of rebates.

3. सभी छात्रावास निवासियों के लिए मेस सुविधा अनिवार्य है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को बिना उचित पंजीकरण के सीधे कैटरर को भुगतान कर भोजन करने की अनुमति नहीं है।
   Mess facility is compulsory for all hostel residents. Students staying in the hostel are not allowed to pay directly to the caterer and dine without proper registration.

4. छात्रावास में रहने वाले सभी JRF/SRF, अन्य परियोजना कर्मचारी तथा डिग्री विस्तार वाले छात्रों को मेस शुल्क जमा करने के पश्चात छात्रावास कार्यालय से मेस कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे निवासियों द्वारा जमा की गई मासिक राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। All JRF/SRF, other project staff and degree extension students residing in the hostel must obtain a mess card from the Hostel Office after payment of mess fees. The monthly amount paid by such residents will be non-refundable.

5. सभी रिबेट आवेदन रिबेट अवधि प्रारंभ होने की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व डाइनिंग वेबसाइट पर जमा किए जाने चाहिए।
   All rebate applications must be submitted on the Dining Website at least two days before the start date of the rebate period.

6. सभी रिबेट अनुरोध केवल डाइनिंग वेबसाइट के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएँगे। ई-मेल के माध्यम से भेजे गए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
   All rebate requests must be submitted only through the Dining Website. Requests sent through email will not be accepted.

7. वर्तमान नियमों के अनुसार रिबेट न्यूनतम 2 लगातार दिनों तथा अधिकतम 7 लगातार दिनों के लिए लिया जा सकता है। कोई भी छात्र अल्पकालिक रिबेट के अंतर्गत एक माह में अधिकतम 8 रिबेट दिवसों का लाभ उठा सकता है।
   As per the current rules, short-term rebate can be applied for a minimum of 2 consecutive days and a maximum of 7 consecutive days. A student can avail a maximum of 8 rebate days per month under the short-term rebate category.

8. यदि अवकाश 7 लगातार दिनों से अधिक हो, तो छात्र को संबंधित फैकल्टी सलाहकार पर्यवेक्षक अथवा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा सहित दीर्घकालिक रिबेट के लिए आवेदन करना होगा।
   For leave exceeding 7 consecutive days, students must apply for a long-term rebate with recommendations from the concerned Faculty Advisor, Supervisor, or HoD.

9. दीर्घकालिक एवं रिबेट के बीच कम से कम एक दिन का अंतर होना चाहिए।
   There should be one day gap between the long and short rebates.

10. छात्रों को स्वयं मेस सुविधा से बाहर होकर उसी अवधि के लिए रिबेट का दावा करने की अनुमति नहीं है।
Students are not allowed to opt out of the mess facility on their own and claim rebate for the same.

11. जो छात्र रिबेट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें डाइनिंग वेबसाइट के माध्यम से संबंधित कैटरर एवं डाइनिंग कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
Students who wish to avail rebate must inform the caterer and Dining Office through the Dining Website.

12. रिबेट पर रहने वाले छात्रों को मेस सुविधा का उपयोग अतिरिक्त भोजन के माध्यम से अथवा किसी अन्य छात्र के अतिथि रूप में करने की अनुमति नहीं होगी।
Students on rebate are not allowed to use the mess facility either through extras or as a guest of another student.

13. छात्रों द्वारा अपना मेस कार्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना अथवा किसी अन्य छात्र के मेस कार्ड का उपयोग कर भोजन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। भोजन केवल वैध मेस कार्ड प्रस्तुत करने पर ही प्रदान किया जाएगा।
Students are strictly prohibited from sharing their mess cards with others or using another student's mess card for dining. Food will be served only on presentation of a valid mess card.

14. निम्नलिखित परिस्थितियों में, डाइनिंग वेबसाइट/ई-मेल के माध्यम से आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने पर पूर्ण रिबेट (Full Rebate) प्रदान किया जा सकता है/ Full rebate may be granted in the following cases, subject to proper information being provided through the Dining Website/email:
    - छात्र संस्थान द्वारा घोषित आधिकारिक अवकाश के दौरान अवकाश पर हो।
      The student is on vacation leave during the official vacation period declared by the Institute.
    - छात्र स्टेशन से बाहर हो तथा संबंधित विभाग अथवा संस्थान के सक्षम प्राधिकारी जैसे फैकल्टी सलाहकार पर्यवेक्षक , DPGC Convener, विभागाध्यक्ष अथवा परियोजना समन्वयक द्वारा अनुमोदित वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करे।
      The student is out of station and submits valid documentary proof approved by the concerned department or Institute authority such as Faculty Advisor, Supervisor, DPGC Convener, HoD, or Project Coordinator.
    - छात्र संस्थान स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रमाणित चिकित्सीय अवकाश पर हो।
      The student is on medical leave certified by the Institute Health Centre.
    - छात्र संस्थान स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रमाणित चिकित्सीय कारणों से मेस का भोजन ग्रहण करने में असमर्थ हो। /
      The student is unable to consume mess food due to medical reasons certified by the Institute Health Centre.

15. उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी छात्र पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है तथा दंड की राशि संस्थान के खाते में जमा की जाएगी।
Any student found violating the above rules may be fined, and the penalty amount will be deposited into the Institute account.

16. रिबेट संबंधी नियमों में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है तथा उस समय प्रभावी नवीनतम नियम ही मान्य होंगे। / The rebate rules may be revised from time to time, and the latest applicable rules will prevail.

****

स्वास्थ्य केन्द्र दिशानिर्देश/Health Centre Guidelines

1. सभी नव प्रवेशित छात्रों को संस्थान में प्रवेश के दिन स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र में उपस्थित होकर अपना चिकित्सा पंजीकरण एवं स्वास्थ्य अभिलेख तैयार करवाना अनिवार्य होगा।
All newly admitted students are required to report to the Institute Health Centre on the day of joining the Institute, as per the schedule communicated by the Health Centre, for medical registration and creation of their health record.

स्वास्थ्य केंद्र की टीम निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध रहेगी:

दिनांक	समय
22/07/2026	प्रातः **09:00 बजे से 01:00 बजे तक** एवं अपराह्न **02:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे (दिनांक 23/07/2026 को पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों के लिए)**
23/07/2026	प्रातः **09:00 बजे से 01:00 बजे तक** एवं अपराह्न **02:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक (दिनांक 24/07/2026 को पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों के लिए)**
23/07/2026	**समय: दोपहर 12:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक, गार्गी सेमिनार हॉल में।**
24/07/2026	**समय: दोपहर 12:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक, गार्गी सेमिनार हॉल में।**

The Health Center team will be available at the Health Center as per the following schedule:

Date	Timings
22/07/2026	09:00 AM to 01:00 PM & 02:00 PM to 08:00 PM (For registration of Students for 23/07/2026)
23/07/2026	09:00 AM to 01:00 PM & 02:00 PM to 08:00 PM (For registration of Students for 24/07/2026)
23/07/2026	From 12.30 PM to 4.00 PM @ Gargi Seminar Hall
24/07/2026	From 12.30 PM to 4.00 PM @ Gargi Seminar Hall

2. छात्रों को स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा सत्यापन हेतु अपनी चिकित्सा फाइल/स्वास्थ्य अभिलेख साथ लाना एवं प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के पश्चात प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत चिकित्सा फाइल तैयार की जाएगी।
Students shall carry and submit their Medical File/Health Record for verification by the Health Centre doctor. After verification and authentication, a personal medical file shall be created for each student.

3. व्यक्तिगत चिकित्सा फाइल छात्र के संस्थान में अध्ययन काल के दौरान सुरक्षित रखी जाएगी तथा स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित सेवाओं हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:
The personal medical file shall be maintained throughout the student's stay at the Institute and shall be produced during visits to the Health Centre for:

a) चिकित्सा परामर्श एवं उपचार हेतु।
   Medical consultation and treatment.
b) छात्र के चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा इतिहास के रख-रखाव हेतु।
   Maintaining medical and surgical history of the student.

c) संस्थान स्वास्थ्य केन्द्र में प्राप्त उपचार हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु।
Issuance of medical certificates for treatment received at the Institute Health Centre.
d) दवाओं से एलर्जी अथवा अन्य ज्ञात एलर्जी की जानकारी हेतु।
Recording any known drug allergy or other allergies.
e) आपातकालीन स्थिति में पूर्व चिकित्सा इतिहास उपलब्ध कराने हेतु।
Providing previous medical history during emergency medical care.

4. छात्रों को अपने चिकित्सा इतिहास से संबंधित पूर्ण एवं सही जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिसमें निम्न शामिल हैं:
Students shall provide complete and accurate details of their medical history, including:

a) पूर्व में हुई बीमारी, शल्य चिकित्सा अथवा अस्पताल में भर्ती होने का विवरण।
Details of previous illness, surgeries, or hospitalisation.
b) वर्तमान में चल रही दवाओं का विवरण (यदि कोई हो)।
Details of ongoing medication, if any.
c) दवाओं, भोजन अथवा अन्य किसी वस्तु से होने वाली एलर्जी का विवरण।
Details of drug/food allergies or any other allergies.
d) रक्त समूह (Blood Group) का विवरण।
Blood group details.
e) किसी विशेष चिकित्सा आवश्यकता की जानकारी।
Any special medical requirements.

5. छात्रों को स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण के समय अपना टीकाकरण कार्ड/टीकाकरण अभिलेख सत्यापन एवं रिकॉर्ड हेतु साथ लाना अनिवार्य होगा।
Students shall bring their vaccination card/records at the time of Health Centre registration for verification and record maintenance.

6. आवासीय परिसर में छात्रों के एक साथ रहने के कारण संक्रामक रोगों के प्रसार की संभावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित टीकाकरण की अनुशंसा की जाती है:
The following vaccinations are strongly recommended for students joining the Institute, considering the possibility of spread of communicable diseases in a residential campus environment:

a) **एमएमआर (MMR) टीका – खसरा, गलसुआ एवं रूबेला**
MMR (Measles, Mumps, Rubella) Vaccine
(15 वर्ष की आयु के बाद बूस्टर डोज की अनुशंसा की जाती है।)
(One booster dose is recommended after 15 years of age.)
b) **चिकनपॉक्स (वैरिसेला) टीका**
Chickenpox (Varicella) Vaccine
c) **टाइफाइड टीका**
Typhoid Vaccine
d) **हेपेटाइटिस-ए टीका**
Hepatitis A Vaccine

7. छात्रों को संस्थान में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त टीके लगवाने तथा उसका प्रमाण चिकित्सा फाइल तैयार करने हेतु स्वास्थ्य केन्द्र में प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।
Students are advised to take the above-mentioned vaccines before joining the Institute and submit proof of vaccination for creation of their medical file.

8. जिन छात्रों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है, उन्हें अपने टीकाकरण अभिलेख/कार्ड स्वास्थ्य केन्द्र में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।
Students who have completed their vaccination schedule shall bring their vaccination records for verification by the Health Centre.

9. छात्रों को संस्थान स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा समय-समय पर जारी सभी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों, निवारक उपायों, चिकित्सा सलाह एवं दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
Students shall comply with all health-related instructions, preventive measures, medical advisories, and guidelines issued by the Institute Health Centre from time to time.

****

इंटरनेट पहुंच और ई-मेल के लिए नीति प्रयोग
POLICY FOR INTERNET ACCESS AND E-MAIL USAGE

सामान्य क्या करें
General Do’s

1. नियम का सम्मान करें "जिसकी स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं है वह निषिद्ध है"।
   Respect the rule “that which is not expressively permitted is prohibited”.

2. अपने इंटरनेट का उपयोग कम से कम रखें।
   Keep your internet usage to a minimum.

3. जांचें कि इंटरनेट पर आपके द्वारा एक्सेस की गई कोई भी जानकारी सटीक और पूर्ण है।
   Check that any information you access on the Internet is accurate and complete.

4. जानकारी की वैधता की जाँच करें।
   Check the validity of the information.

5. कॉपीराइट और लाइसेंस द्वारा प्रदान किए गए डेटा और सॉफ़्टवेयर की कानूनी सुरक्षा का सम्मान करें।
   Respect the legal protections to data and software provided by copyright and licenses.

6. असामान्य घटनाओं, यदि कोई हो, के बारे में कंप्यूटर समिति को सूचित करें।
   Inform the Computer Committee about unusual occurrences, if any.

7. इंटरनेट संबंधी समस्याओं के लिए "सिस्टम मैनेजर" से संपर्क करें।
   Contact the “System Manager” for internet related issues.

8. यदि आपको नियमों को समझने में कोई अस्पष्टता मिलती है तो "कंप्यूटर समिति" से संपर्क करें।
   Contact the “Computer Committee”, in case if you find any ambiguity in understanding the rules.

9. हॉस्टल में आई.आई.टी.आई. नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सभी कंप्यूटरों (डेस्कटॉप/लैपटॉप) का मैक पता पंजीकृत करें।
   Register the Mac address of all the computers (desktop/laptop) when needed for accessing IITI networks in hostels.

10. इंटरनेट का उपयोग केवल कार्य/पेशेवर संबंधित मामलों के लिए करें।
    Use the internet only for work/professional related matters.

11. गति बाधा को रोकने के लिए, समय-समय पर ब्राउज़र इतिहास और कैश को साफ़ करें।
    Clean the browser history and cache, periodically, to prevent speed bottleneck.

12. गति बाधा को रोकने के लिए किसी भी जंक फ़ाइल (गलती से स्थापित) को तुरंत हटा दें।
    Remove any junk files (accidentally installed) immediately to prevent speed bottleneck.

13. इंटरनेट संबंधी किसी भी बड़े विवाद की स्थिति में “आईटी सेल” से संपर्क करें।
    Contact “IT Cell” in case of any major dispute about internet problems.

14. वेब सामग्री तक पहुंच/डाउनलोड करते समय संस्थान के सकारात्मक हित में अपने तर्कसंगत निर्णय का उपयोग करें।
    Use your rational judgment in the positive interest of the Institute when accessing/downloading web contents.

सामान्य क्या न करें
General Don’ts

1. ऐसी फ़ाइल/छवियां/वीडियो/गाने डाउनलोड न करें जो बड़े आकार में हों, या जिनमें अश्लील, नस्लवादी, या अत्यधिक राजनीतिक प्रकृति की सामग्री हो, या जो हिंसा, घृणा या किसी भी अवैध गतिविधि को उकसाती हो।
   Do not download the file(s)/images/videos/songs that bulk in size, or which contain material of a pornographic, racist, or extreme political nature, or which incites violence, hatred, or any illegal activity.

2. इंटरनेट साइटों से तब तक सामग्री डाउनलोड न करें जब तक वह आपके काम से संबंधित न हो।
   Do not download content(s) from internet sites unless it is related to your work.

3. इंटरनेट से निःशुल्क, बिना लाइसेंस वाला सॉफ़्टवेयर डाउनलोड न करें और इसे संस्थान के कंप्यूटर पर इंस्टॉल न करें।
   Do not download free, unlicensed software from the internet and install it on the Institute’s computer.

4. किसी अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत प्रवेश करने के लिए संस्थान के कंप्यूटर का उपयोग न करें।
   Do not use the Institute’s computers to make unauthorized entry into any other computer or network.

5. अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, सेवाओं या उपकरणों को बाधित या हस्तक्षेप न करें। कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के संचालन में जानबूझकर व्यवधान डालना एक अपराध है। किसी भी मशीन को रीसेट या पावर-ऑफ न करें।
   Do not disrupt or interfere with other computers or network users, services, or equipment. Intentional disruption of the operation of computer systems and networks is a crime. Do not reset or power-off any machine.

6. अपने आप को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत न करें।
   Do not represent yourself as another person.

7. अपना पासवर्ड साझा न करें.
   Do not share your password.

8. अपनी स्क्रीन को लावारिस न छोड़ें। यदि आवश्यक हो तो लॉग आउट करें.
   Do not leave your screen unattended. Log out if necessary.

9. गोपनीय, राजनीतिक, अश्लील, धमकी देने वाली या परेशान करने वाली सामग्री या बौद्धिक अधिकारों से सुरक्षित सामग्री प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग न करें।
   Do not use internet to transmit confidential, political, obscene, threatening, or harassing materials or contents protected with intellectual rights.

10. ईमेल के माध्यम से ऐसी फ़ाइलें (या प्रोग्राम) संलग्न और प्रसारित न करें जिनमें अवैध/अनधिकृत सामग्री हो।
    Do not attach and transmit files (or programs) through email which contains illegal/unauthorized materials.

11. किसी भी चिंता के लिए सामान्य कार्य के # 7, 8 और 13 में उल्लिखित संपर्क व्यक्ति के अलावा किसी और से संपर्क न करें।
    Do not contact anyone else besides the contact person mentioned in # 7, 8 & 13 of General Do’s for any concerns.

12. जब तक विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए, सभी समुदायों में से किसी को भी ईमेल न भेजें।
    Do not send emails to any of all the communities unless specifically authorized.

****

गोपनीयता और सुरक्षा नीतियाँ
Privacy and Security Policies

1.किसी की निजता में दखल न दें.
Do not intrude on privacy of anyone.

2.दूसरों की जानकारी और स्पष्ट सहमति के बिना उनके कंप्यूटर (हैकिंग), खातों, फाइलों या जानकारी तक पहुंचने का प्रयास न करें।
Do not try to access computers (hacking), accounts, files, or information belonging to others without their knowledge and explicit consent.

3.ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे आई.आई.टी. इंदौर नेटवर्क की सुरक्षा को खतरा हो। फ़ायरवॉल और एक्सेस नियमों को बायपास करने का प्रयास न करें। इसमें किसी भी प्रकार के सर्वर (उदाहरण: वेब, मेल, प्रॉक्सी) स्थापित नहीं करना शामिल है, जो आई.आई.टी. इंदौर परिसर के बाहर की दुनिया को दिखाई दे।
Do not take any steps that endanger the security of the IIT Indore network. Do not attempt to bypass firewalls and access rules in place. This includes not setting up servers of any kind (examples: web, mail, proxy) that are visible to the world outside the IIT Indore campus.

4.इलेक्ट्रॉनिक संचार या नेटवर्क ट्रैफ़िक में दूसरों को उसकी पहचान के बारे में धोखा देने का प्रयास न करें।
Do not attempt to deceive others about his/her identity in electronic communications or network traffic.

5.दूसरों को डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए आईटी संसाधनों का उपयोग न करें।
Do not use IT resources to threaten, intimidate, or harass others.

6.इस नेटवर्क पर उपलब्ध कराए गए कंप्यूटरों को वर्तमान वायरस डिटेक्शन सॉफ़्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्तमान अपडेट के साथ बनाए रखें और कंप्यूटर को वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और ऐसे अन्य एप्लिकेशन/मैलवेयर से मुक्त रखने का प्रयास करें।
Maintain the provided computers on this network with current virus detection software and current updates of the operating system and shall attempt to keep the computer free from viruses, worms, Trojan horse, and other such applications/malwares.

7.इंटरनेट/ईमेल के माध्यम से किसी भी अवैध फ़ाइल साझाकरण में शामिल न हों।
Do not involve in any illegal file sharing through internet/email.

8.प्रदान की गई ईमेल आईडी का उपयोग केवल आधिकारिक संचार के लिए किया जाना चाहिए।
Provided email ID should be used for official communication only.

9.डिग्री प्रदान होने के बाद ईमेल आईडी निष्क्रिय कर दी जाएगी।
Email ID will be deactivated after the award of the degree.

टिप्पणी:/Note:

1.इंटरनेट पर सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और उन्हें लॉग किया जाता है।
All activity on the Internet is monitored and logged.

2.देखी गई सभी सामग्री को वायरस के लिए स्कैन किया जाता है।
All material viewed is scanned for viruses.

3.देखी गई सभी सामग्री को आपत्तिजनक सामग्री के लिए स्कैन किया जाता है।

All the content viewed is scanned for offensive material.

सुरक्षा और संरक्षा नियम
SAFETY AND SECURITY POLICY

1.संस्थान के छात्रावास आईआईटी इंदौर, सिमरोल, खंडवा रोड, इंदौर में स्थित हैं
The Institute Hostels are located at IIT Indore, Simrol, Khandwa Road, Indore

2.महत्वपूर्ण संपर्क विवरण इस प्रकार हैं:
The important contact details are as under:

क्र. सं.	नाम / Name	पदनाम / Designation	ई-मेल / Email
i)	**डॉ. सप्तर्षि घोष**	मुख्य वार्डन	chiefwarden@iiti.ac.in 0731-66033346
	Dr. Saptarshi Ghosh	Chief Warden	
ii)	**डॉ. शिवराज मोहना सुंदरम**	प्रभारी, ए.पी.जे. छात्रावास	warden.apj@iiti.ac.in 0731-66035122
	Dr. Sivaraj Mohana Sundaram	Warden In-charge, A.P.J. Hostel	
iii)	**डॉ. अरात्रिका दास**	प्रभारी, देवी अहिल्या छात्रावास	warden.da@iiti.ac.in 0731-6603450
	Dr. Aratrika Das	Warden In-charge, Devi Ahilya Hostel	
	डॉ. स्रष्टसृता दास	सहायक वार्डन, देवी अहिल्या छात्रावास	awarden.da@iiti.ac.in 0731-6605283
	Dr. Srashtasrita Das	Associate Warden, Devi Ahilya Hall of Residence	
iv)	**डॉ. अयान मोंडल**	प्रभारी, एच.जे.बी. छात्रावास	warden.hjb@iiti.ac.in 0731-6603426
	Dr. Ayan Mondal	Warden In-charge, H.J.B. Hostel	
v)	**डॉ. अक्षय प्रताप सिंह**	प्रभारी, सी. वी. रमन छात्रावास	warden.cvr@iiti.ac.in 0731-66035171
	Dr. Akshay Pratap Singh	Warden In-charge, C.V. Raman Hostel	
vi)	**डॉ. संसुमा ब्रहमा**	प्रभारी, विक्रम साराभाई/ पीएम अजय हॉस्टल छात्रावास	warden.vsb@iiti.ac.in warden.pmajay@iiti.ac.in 0731-6605576
	Dr. Sansuma Brahma	Warden In-charge, Vikram Sarabhai Hostel / PM Ajay Hostel	
vii)	**डॉ. सुभादीप पलाधी**	प्रभारी, नवीन छात्रावास	warden.bh07@iiti.ac.in 0731-6603307
	Dr. Subhadeep Paladhi	Warden In-charge, BH - 07	
viii)	**डॉ. सौरव चंद्रा**	प्रभारी, जे. सी. बोस छात्रावास	warden.jcb@iiti.ac.in 0731-6605159
	Dr. Saurav Chandra	Warden In-charge, J. C. Bose Hostel	
ix)	**डॉ. कलानी चरण प्रधान**	डायनिंग प्रभारी/वार्डन	dining.warden@iiti.ac.in 0731-6603502
	Dr. Kalani Charan Pradhan	Dining Warden	

3.मुख्य वार्डन कार्यालय: 0731-660-3468
Chief Warden Office: 0731-660-3468

4.मुख्य सुरक्षा अधिकारी: श्री रमाकांत कौशिक (7581055527)
Chief Security Officer: Mr. Ramakant Kaushik (7581055527)

5.छात्रों से निम्नलिखित आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है
Following Codes of Conduct are expected to be followed by the students:

a.छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करें।
Do follow the HOSTEL RULES and REGULATIONS.

b.यह अधिसूचित किया जाता है कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। यदि आप पीड़ित बन जाते हैं या ऐसी कोई घटना देखते हैं, तो मामले की सूचना अपने छात्रावास वार्डन, केयरटेकर/रखवाला या मुख्य सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सहायता डेस्क को दें। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.
It is notified that Ragging is a Criminal Offence. In case you become a victim or notice any such incident, report the matter to your Hostel Warden, Caretaker or Chief Security Officer/Security Help Desk. Your identity will be kept strictly confidential.

c.यदि संस्थान के अधिकारियों के ध्यान में यह बात आती है कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग गतिविधि में शामिल है, तो वह संस्थान के मानदंडों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, किसी भी अन्य आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी दंडात्मक कानून या उस समय लागू किसी कानून के तहत की जा सकती है।
If it comes to the notice of the Institute authorities that anybody is involved in ragging activity either directly or indirectly, he/she will be liable to disciplinary action as per the Institute norms, without prejudice to any other criminal action that may be taken against such individual under any penal law or any law for the time being in force.

d.छात्रावास के निवासियों सहित किसी भी छात्र के लिए किसी भी नशीली दवा और/या मनोदैहिक पदार्थ और/या मादक पेय का उत्पादन/निर्माण/खेती करना, रखना, बेचना, खरीदना, परिवहन करना, भंडारण करना और/या सेवन करना गैरकानूनी है। संदेह के मामले में, संस्थान बिना किसी पूर्व सूचना/घोषणा के निवासी के कमरे का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि इकाई के सामान्य क्षेत्र में पाया जाता है, तो सभी निवासी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
It is illegal for any student including hostel residents to produce/manufacture/cultivate, possess, sell, purchase, transport, store, and/or consume any narcotic drug and/or psychotropic substance and/or alcoholic drinks. In case of suspicion, the Institute reserves the right to inspect the resident's room without any prior information/intimation. Any violation will be viewed very seriously, and strict disciplinary action will be taken. If found in the common area of the unit, all residents will be liable for the disciplinary action.

e.छात्रों को छात्रावास या संस्थान परिसर के साथ-साथ शहर में कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर रखने/उपयोग करने की अनुमति नहीं है। वाहन के ऐसे अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना/दुर्घटना के मामले में, संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

Students are not permitted to keep/use Car, Motorcycle, or Scooter at the hostel or Institute premises, as well as in the city. In case of any type of accidents/mishaps resulting from such unauthorized use of vehicle, the Institute will not be held responsible.

f.छात्रों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे अपनी गतिविधियों को अधिकृत प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रखें। अनधिकृत व्यक्तियों को प्रयोगशालाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
Students are strictly advised to limit their movement to authorized laboratories. Unauthorized persons are not permitted entry into the laboratories.

g.छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित शिष्टाचार और उचित व्यवहार बनाए रखें, यानी, खुद को पेशेवर, कानूनी और सहयोगात्मक तरीके से संचालित करें जो कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और कहीं भी सामान्य क्षेत्रों में, संस्थान परिसर के अंदर या बाहर अशोभनीय, विघटनकारी, परेशान करने वाला, डराने वाला या खतरनाक न हो।
Students are expected to maintain proper decorum and appropriate behavior i.e., conducting him/her self in a professional, legal, and cooperative manner that is not indecent, disruptive, harassing, intimidating, or dangerous, in common areas such as classrooms, laboratories and anywhere inside or outside of the Institute premises.

h.छात्रों को रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सभी छात्रों को परिसर में रात 11 बजे तक अपने कमरे में लौट आना चाहिए।
Students are not allowed to go out of campus between 2300 hrs. to 0600 hrs. All students should return to their rooms latest by 2300 hrs. at the campus.

i.छात्रों को किसी भी कारण से निर्माणाधीन भवन स्थलों में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
Students are not allowed to enter the under-construction building sites for any reason.

j. छात्रों को वन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
Students are not allowed to enter the forest area.

k. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परिसर के अंधेरे इलाकों में टहलने न जाएं।
Students are advised not to go for a walk in the dark areas of the campus.

l.विद्यार्थियों के लिए किसी भी छत पर प्रवेश वर्जित है।
Entry to any terrace is prohibited for students.

m.छात्र अपने सामान के लिए जिम्मेदार हैं। सभी मूल्यवान वस्तुएँ जैसे नकदी, कैमरा, सोने की वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ जैसे लैपटॉप, आईपॉड आदि को अलमारी में बंद करके रखना चाहिए।
Students are responsible for their belongings. All valuable items such as cash, camera, gold items and electronic items such as laptop, iPod etc. are to be kept locked in the cupboard.

n.बाहर जाते समय हमेशा अपने कमरे बंद रखें।
Always Lock your rooms on your way out.

o.कई मौकों पर छात्र बदमाशों को पकड़कर सुरक्षा में मददगार रहे हैं। हम आपसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि आप इस संबंध में एक प्रभावी सदस्य बनें और सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करें। सुरक्षा हर किसी की चिंता है, कृपया सहयोग करें।

On many occasions, students have been helpful for security by nabbing miscreants. We also expect you to be an effective member in this regard and be vigilant and assist us as and when required. Security is everybody's concern, please cooperate.

p.यदि आप इंदौर शहर से अपरिचित हैं, तो बाहर जाने से पहले अपने छात्रावास के निवासियों से नियमों/विनियमों और इसमें शामिल किसी भी जोखिम के बारे में खुद को परिचित कर लें।
In case you are unfamiliar with Indore city, do acquaint yourself from your hall of residence inmates about the rules/regulations and any risks involved before moving out.

q. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर परिसर में या बाहर जाते समय हमेशा अपना पहचान पत्र साथ रखें, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
Always carry your Identity Card while moving in or out of IIT Indore Campus which may be asked to produce at any time by relevant authority.
r.किसी आपातकालीन स्थिति में जहां बाहरी एजेंसियों जैसे पुलिस, फायर-ब्रिगेड आदि को बुलाने की आवश्यकता हो, छात्र को तुरंत सुरक्षागार्ड, परिचारक या छात्रावास कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, जो संस्थान की ओर से आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करेगा।
In case of an emergency where external agencies such as police, fire-brigade etc. need to be called, student should immediately contact the Security, Attendant or Hostel Office, who will contact the emergency services on behalf of the Institute.

****

उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में यौन उत्पीड़न से संबंधित नियम

Rules pertaining to Sexual Harassment at Higher Educational Institutions (HEIs)

उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए यूजीसी दिशानिर्देश 2015 के अनुसरण में, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और उनकी सुरक्षा करने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने के लिए यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) अधिनियम 2013 (Prevention of Sexual Harassment (POSH) Act 2013) लागू किया गया है।

The legislation of the Prevention of Sexual Harassment (POSH) Act 2013, subsequent UGC Guideline 2015 for HEIs, has been enacted to prevent and protect women against workplace sexual harassment and to ensure effective redressal of complaints of sexual harassment.

आईआईटी इंदौर में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता है।
IIT INDORE HAS ZERO TOLERANCE FOR ANY FORM OF HARASSMENT.

निम्नलिखित में से कोई भी व्यवहार यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
Any of the following behaviors will fall under sexual harassment and are liable to serious implications:

1. यौन उत्पीड़न, यौन श्रेणी का एक भेदभावपूर्ण और अवांछित व्यवहार है। यह यौन अनुग्रह के लिए दबाव, अवांछित यौन प्रस्ताव या यौन निहितार्थ वाले मौखिक या शारीरिक आचरण के रूप में हो सकता है।
   Sexual harassment is a discriminatory and unwelcome behavior of a sexual nature. It could be in the form of pressure for sexual favors, unwanted sexual advances, or verbal or physical conduct that has sexual overtones.
2. जब इस तरह के व्यवहार को अस्वीकार करने या प्रस्तुत करने का उपयोग महिलाओं के रोजगार/शैक्षणिक प्रदर्शन/कैरियर की प्रगति के लिए खतरे के रूप में किया जाता है; इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो यह यौन उत्पीड़न का स्पष्ट मामला बन जाता है।
   When rejection of or submission to such behavior is used/capable of being used as a threat to the employment academic performance/ career progression of women, it becomes a clear case of sexual harassment.
3. जब इस तरह का अवांछित व्यवहार शत्रुतापूर्ण, डराने वाला या आक्रामक कार्य/अध्ययन परिवेश बनाता है और महिलाओं के कार्य/शैक्षणिक प्रदर्शन में हस्तक्षेप करता है, तो यह निश्चित रूप से यौन उत्पीड़न है।
   When such unwelcome behavior creates a hostile, intimidating, or offensive work/ study environment, and interferes with the work/ academic performance of women, it certainly is sexual harassment.

इसमें निम्नलिखित कदाचार/अनुचित व्यवहार शामिल हैं:
This includes the following misconduct/inappropriate behaviors:

1. यौन अनुग्रह के लिए लाभ की पेशकश
   Offering benefits for a sexual favor
2. अवांछित यौन प्रस्ताव
   Unwanted Sexual Advances
3. "नहीं" कहने पर प्रतिशोध की धमकियाँ
   Threats of retaliation to "NO"

4. दृश्य आचरण/संकेतात्मक इशारे
   Visual conduct/suggestive gestures
5. मौखिक आचरण/अपमानजनक टिप्पणियाँ
   Verbal conduct/derogatory comments
6. शारीरिक दुर्व्यवहार/शरीर मुद्रा पर टिप्पणी/शरीर छूना
   Physical misconduct/body positioning/touching

यदि शिकायतकर्ता किसी सह-छात्र, शिक्षक, कर्मचारी या किसी अन्य छात्र या उत्सव/अंतर-कॉलेजिएट कार्यक्रमों के दौरान अन्य संस्थानों के छात्रों द्वारा ऐसे किसी भी व्यवहार के कारण परेशान महसूस कर रही है, तो वह लिखित शिकायत **आंतरिक शिकायत समिति (icc@iiti.ac.in)** को प्रस्तुत कर सकती है।

If the complainant (s) feeling harassed due to any such behavior by a co-student, a teacher, an employee, or any other student, or students from other institutions during fests/inter-collegiate events, can submit a written complaint to the **Internal Complaints Committee (icc@iiti.ac.in).**

आईसीसी को सिविल कोर्ट के अधिकार प्रदान किए गए हैं और इसलिए किसी भी छात्र/अपराधी द्वारा उपरोक्त कृत्यों को ''आचरण नियमों का उल्लंघन'' माना जाएगा और कर्मचारी/अपराधी द्वारा ''सेवा नियमों के तहत कदाचार'' माना जाएगा और इसलिए, फटकार के लिए बुलाया जा सकता है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, निलंबित किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है या परिसर/कार्यक्रम/रोजगार से बर्खास्त किया जा सकता है।

The ICC is accorded the powers of a civil court and hence any of the above acts by any student(s)/offender will be considered as Violation of Conduct Rules' and by the employee(s)/offender as 'Misconduct under Service Rules, and hence, can be called for reprimand, taken disciplinary action against, suspended, rusticated, or terminated from the campus/program/employment.

****